



2026:AHC:176128

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 6391 वर्ष 2026

तारा देवी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमर नाथ तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, रय्यूफ अली, संदीप कुमार यादव

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रय्यूफ अली तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 179 वर्ष 2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 351(2), भारतीय न्याय संहिता, थाना-सहजनवा, जनपद-गोरखपुर में उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. पिछली तिथि अर्थात् 16.07.2026 को सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति-शपथपत्र दाखिल किए जाने के लिए समय मांगा गया था, किन्तु उनके द्वारा कोई प्रति-शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक और उसके दो पुत्रों ने दिनांक 02.04.2025 को सूचनाकर्ता की माता के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया था। आवेदक तथा सह-अभियुक्त गणेश यादव और महेश, प्रश्नगत विक्रय विलेख के परिणामस्वरूप सह-खातेदार हैं। सूचनाकर्ता का नाम भी राजस्व अभिलेखों में दाखिल-खारिज कर दिया गया है। लगाया गया आरोप यह है कि जब सूचनाकर्ता प्रश्नगत संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए मौके पर गया, तो राम सुमेर, पुत्र माजा द्वारा उसके कब्जे का विरोध किया गया और सूचनाकर्ता को स्वत्व से संबंधित ऐसे दस्तावेज दिखाए गए, जो तीस वर्ष से अधिक पुराने थे। आगे आरोप है कि सूचनाकर्ता द्वारा की गई पूछताछ पर यह पाया गया कि संपत्ति का कोई भी भाग आवेदक के पक्ष में पंजीकृत नहीं था और उसने झूठी एवं कूटरचित खतौनी प्रदर्शित करके सूचनाकर्ता की माता के पक्ष में एक फर्जी विक्रय विलेख निष्पादित किया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त गणेश यादव को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 8381 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 17.08.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने और विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, तब उपस्थित होने का वचन देती है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी, विवेचना में सहयोग करेगी तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगी।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने तथ्यात्मक पक्ष का खंडन नहीं किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020)

5 एससीसी 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को धमकाना भी सम्मिलित है, की उसकी संभावना, न्याय से बचने, जैसे कि देश छोड़ने आदि की संभावना पर विचार करना होता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालयों को सामान्यतः इस बात पर विचार करते समय कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए या नहीं, यह विवेक का विषय है।

9. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 एससीसी 676 में, माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है, जब अभिरक्षा में विवेचना आवश्यक हो जाती है या यह जघन्य अपराध हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह विधिसम्मत है, यह आदेशित नहीं होता कि गिरफ्तारी अवश्य की जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन की अवहेलना करेगा और उसने वास्तव में पूरे समय विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

10. अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु मामला बनता है।

11. तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त मामले में सम्मिलित आवेदक-तारा देवी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा।

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगी तथा विवेचना किए जाने के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगी;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

12. किसी भी शर्त के उल्लंघन या दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी, आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

20 अगस्त 2026

ए.पी. पाण्डेय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।